राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/ 34112 जयपुर, दिनांक: 26/09/2017

आदेश

राजस्थान नगर सुधार प्रन्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6) में निम्न प्रावधान किये हुए है:–

"(6) **Resale of plot-condition thereof**:- (a) A person who has been allotted a plot at concessional rates, shall not transfer the plot before the expiry of 10 years from the date of allotment:

Provided that if an allottee intends to transfer his plot before the expiry of 10 years from the date of allotment, he shall pay levy at the rate of 5% of present prevailing reserve price to the concerned trust."

तथा राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6) में निम्न प्रावधान किये हुए है:–

"(6) **Resale of plot-condition thereof**:- (a) A person who has been allotted a plot at concessional rates, shall not transfer the plot before the expiry of 10 years from the date of allotment:

Provided that if an allottee intends to transfer his plot before the expiry of 10 years from the date of allotment, he shall pay levy at the rate of 5% of present prevailing reserve price to the concerned Municipality."

उक्त राजस्थान नगर सुधार प्रन्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6) तथा राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6) में 10 वर्ष पश्चात् भूखण्ड के बैचान के लिए न्यास/नगर पालिका/सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

अतएव समस्त नगरीय निकायो को यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि:–

1. राजस्थान नगर सुधार प्रन्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6) तथा राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6) में आवंटी आवंटन के 10 वर्ष पूर्व विक्रय या अन्तरण करता है तो वर्तमान प्रचलित रिजर्व प्राईज की 5 प्रतिशत की दर से लेवी लिये जाने का प्रावधान है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूखण्ड के बैचान के लिए न्यास/नगर पालिका/सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है इसी प्रकार वाणिज्यिक भूखण्डो की आवंटन प्रकिया के संबंध में भी नियमो में 10 वर्ष पश्चात् भूखण्ड की बैचानी के लिए न्यास/पालिका/सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। फिर भी भूखण्ड के किसी आवंटन पत्र/लीजडीड में यदि यह शर्त अंकित की हुई कि 10 वर्ष पश्चात् भूखण्ड के बैचान के लिए न्यास/नगर पालिका/सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तो इसे विलोपित समझा जावे।
2. नगर पालिका की योजना अथवा नगर सुधार न्यास या विकास प्राधिकरण की योजना जो नगर पालिका को हस्तानान्तरित होकर

प्राप्त हुई है में 10 वर्ष पश्चात् भूखण्ड के बैचान के लिए न्यास/नगर पालिका/सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/34113-34314 दिनांक:26/09/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. महापौर/सभापति/अध्यक्षनगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
03. आयुक्त/अधिशाषीअधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
05. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
06. अध्यक्ष, जयपुर ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स एसोशियेशन ट्रान्सपोर्ट नगर जयपुर।
07. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी